न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 97/2021

श्यामसुंदर पुत्र मूलचंद शर्मा,उम्र 65 वर्ष जाति शर्मा निवासी गुजरवास, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।

—अपीलार्थीगण

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना, जिला झुंझुनू ।

—रेस्पोडेंट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना
उनवानी सरकार बनाम श्यामसुंदर अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 24/2021 निर्णय दिनांक 13.7.2021

उपस्थितिः—

1 .श्री मो0अब्बास भाटी, एडवोकेट ——————————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक ——————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 30.12.2022

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.07.2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम श्यामसुंदर मु0नं0 24/2021 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि — अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 13.07.2021 पारित करने से पूर्व दस्तावेजों ,साक्ष्यों तथा तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन नहीं किया ना ही ज्यूडिशियल माईण्ड अप्लाई किया। प्रार्थीया अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तूत करने का अवसर नहीं दिया गया। मंदिर लक्ष्मीनारायण के पास एक कमरा बना हुआ है वह भी जर—जर हो गया था वह किसी भी प्रकार से रहने लायक नहीं रहा। अगर पुजारी का परिवार उसमें रहता तो उसमें पुजारी व उसके परिवार को जानमाल को खतरा रहता। पुजारी का परिवार भी बढ गया था, इसलिए मंदिर के पास बने कमरे में जो जर—जर की हालत में उसमें रहना सम्भव नहीं होने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gaur
Date: 2023.01.09 16:14:26 IST
Reason: SelfAttested

कारण मंदिर पुजारी ने अपने रहने के लिए सिर्फ 126 वर्गमीटर भूमि पर पक्का निर्माण कार्य किया है। तथा 195 वर्गमीटर भूमि पर ढारा व छप्पर का बनाया है। उक्त ढारा छप्पर में मंदिर पुजारी उक्त जमीन से पैदा होने वाला अनाज व चारा रखने के लिए बनाया है जो मंदिर के ही काम आते हैं। राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 की धारा 5 (19) के अनुसार हर काश्तकार 500 वर्गमीटर तक सुर के रूप में निर्माण कर सकता है। अपीलांट बिना किसी मानदेय के कई वर्षो से भगवान लक्ष्मीनारायण की पूजा अर्चना करता आ रहा है। पुजारी ने कभी भी पक्का निर्माण कार्य नहीं किया था, लेकिन मंदिर के पास बना कमरा जर–जर हो गया तथा परिवार बढ गया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया। खसरा नंबर 224 गत खसरा नंबर 197/1 से बना है व खसरा नंबर 491 गत खसरा नंबर 222/1 व 222/2 से बना है। उक्त भूमि ठाकुर हरनाथ सिंह ठिकाना डूण्डलोद की जागीर में थी जिसने यह भूमि मंदिर मूर्ति लक्ष्मीनारायण की सेवा पूजा के बदले चतरू पुत्र श्योलाल को बतौर माफीदार सेवादर दी थी। उक्त भूमि माफी रिज्यूम होने पर चतरूराम के पुत्र लूणकरण व विसनदयाल के खातेदारी में सन 1962 से कर दी एवं संवत 2010 से सम्वत 2034 तक उनके नाम खातेदारी में दर्ज रही। लूणकरण व विसनदयाल को उक्त भूमि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 15 व लैण्ड रिफोर्म आफजागरी रिज्यूमशन एक्ट की धारा 9 के अनुसार खातेदारी अधिकार दिये गये थे। परन्तु राजस्व महकमा ने नये सेटलमेंट में यह भूमि मंदिर की मानकर पुनः मंदिर के नाम कर दी गई जो कानून के खिलाफ मंदिर के नाम की गई। राज्य सरकार के परिपत्र प.क. राजस्व ग्रुप 6 विभाग 3(2) राज. 6/2007/14 दिनांक 24.5.2007 के एवं राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 15 व लैण्ड रिपोर्म एण्ड रिज्यमशन ऑफ जागीर एक्ट की धारा 9 के खिलाफ है। इस तथ्य पर गौर ना कर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है।

अपीलांट का कथन है कि भूमि खसरा नंबर 491 में स्कूल भवन, आंगनबाडी भवन व उपस्वास्थ्य केन्द्र बने हुये हैं। व गांव के कुछ व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा है। मंदिर पुजारी श्यामसुंदर की गलत रूप से शिकायत की गई। मंदिर पुजारी श्यामसुंदर को तंग व परेशान करने के लिए गलत शिकायत की गई है ताकि मंदिर में पूजा पाठ ना हो ओर पुजारी को भगा कर उक्त भूमि पर कब्जा करने की फिराक में है। मंदिर पुजारी का कभी भी मंदिर की जमीन का गलत उपयोग नहीं किया है, बल्कि करीब 100 व[illegible] पुजारी श्यामसुंदर व बुजुर्ग मंदिर जमीन की अतिक्रमियों से रक्षा [illegible] करीब 200 वर्ष पुराना है जिसकी काफी मान्यता होने [illegible] मंदिर पुजारी के उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:14:26 IST
Reason: SelfAttested

126 वर्गमीटर पर किये गये निर्माण कार्य को अवैध मानकर तोड़ा जाता है तो पुजारी व उसके परिवार वाले सडक पर आ जायेगे उनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं होगी तथा मंदिर में आने वाले यात्रियों की भी कोई व्यवस्था नहीं होगी। अंत में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना के निर्णय दिनांक 13.7.2021 को निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 13.07.2021 पारित करने से पूर्व दस्तावेजों ,साक्ष्यों तथा तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन नहीं किया ना ही ज्यूडिशियल माईण्ड अप्लाई किया। प्रार्थीया अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तूत करने का अवसर नहीं दिया गया। मंदिर लक्ष्मीनारायण के पास एक कमरा बना हुआ है वह भी जर–जर हो गया था वह किसी भी प्रकार से रहने लायक नहीं रहा। अगर पुजारी का परिवार उसमें रहता तो उसमें पुजारी व उसके परिवार को जानमाल को खतरा रहता। पुजारी का परिवार भी बढ गया था, इसलिए मंदिर के पास बने कमरे में जो जर–जर की हालत में है उसमें रहना सम्भव नहीं होने के कारण मंदिर पुजारी ने अपने रहने के लिए सिर्फ 126 वर्गमीटर भूमि पर पक्का निर्माण कार्य किया है। तथा 195 वर्गमीटर भूमि पर ढारा व छप्पर का बनाया है। उक्त ढारा छप्पर में मंदिर पुजारी उक्त जमीन से पैदा होने वाला अनाज व चारा रखने के लिए बनाया है जो मंदिर के ही काम आते हैं। राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 की धारा 5 (19) के अनुसार हर काश्तकार 500 वर्गमीटर तक सुर के रूप में निर्माण कर सकता है। अपीलांट बिना किसी मानदेय के कई वर्षो से भगवान लक्ष्मीनारायण की पूजा अर्चना करता आ रहा है। पुजारी ने कभी भी पक्का निर्माण कार्य नहीं किया था,लेकिन मंदिर के पास बना कमरा जर–जर हो गया तथा परिवार बढ गया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया [illegible] नंबर 224 गत खसरा नंबर 197/1 से बना है व खसरा नंबर 491 गत खसरा नंबर 22[illegible] व 222/2 से बना है। उक्त भूमि ठाकुर हरनाथ सिंह ठिकाना डूण्डलोद की जागीर [illegible] थी जिसमें यह भूमि मंदिर मूर्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:14:26 IST
Reason: SelfAttested

लक्ष्मीनारायण की सेवा पूजा के बदले चतरू पुत्र श्योलाल को बतौर माफीदार सेवादर दी थी। उक्त भूमि माफी रिज्यूम होने पर चतरूराम के पुत्र लूणकरण व विसनदयाल के खातेदारी में सन 1962 से कर दी एवं संवत 2010 से सम्वत 2034 तक उनके नाम खातेदारी में दर्ज रही। लूणकरण व विसनदयाल को उक्त भूमि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 15 व लैण्ड रिफोर्म आफजागरी रिज्यूमशन एक्ट की धारा 9 के अनुसार खातेदारी अधिकार दिये गये थे। परन्तु राजस्व महकमा ने नये सेटलमेंट में यह भूमि मंदिर की मानकर पुनः मंदिर के नाम कर दी गई जो कानून के खिलाफ मंदिर के नाम की गई। राज्य सरकार के परिपत्र प.क. राजस्व ग्रुप 6 विभाग 3 (2) राज. 6/2007/14 दिनांक 24.5.2007 के एवं राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 15 व लैण्ड रिपोर्म एण्ड रिज्यमशन ऑफ जागीर एक्ट की धारा 9 के खिलाफ है। इस तथ्य पर गोर ना कर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है।

अपीलांट का कथन है कि भूमि खसरा नंबर 491 में स्कूल भवन, आंगनबाडी भवन व उपस्वास्थ्य केन्द्र बने हुये हैं। व कुछ गांव के व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा है। मंदिर पुजारी श्यामसुंदर की गलत रूप से शिकायत की गई। मंदिर पुजारी श्यामसुंदर को तंग व परेशान करने के लिए गलत शिकायत की गई है ताकि मंदिर में पूजा पाठ ना हो ओर पुजारी को भगा कर उक्त भूमि पर कब्जा करने की फिराक में है। मंदिर पुजारी का कभी भी मंदिर की जमीन का गलत उपयोग नहीं किया है, बल्कि करीब 100 वर्षो सें मंदिर पुजारी श्यामसुंदर व बुजुर्ग मंदिर जमीन की अतिक्रमियों से रक्षा करते आ रहे है। लक्ष्मीनारायण मंदिर करीब 200 वर्ष पुराना है जिसकी काफी मान्यता होने दूर –दूर से लोग आते हैं। अगर मंदिर पुजारी के उक्त 126 वर्गमीटर पर किये गये निर्माण कार्य को अवैध मानकर तोड़ा जाता है तो पुजारी व उसके परिवारवाले सडक पर आ जायेगे उनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं होगी तथा मंदिर में आने वाले यात्रियों की भी कोई व्यवस्था नहीं होगी। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने आर.आर.डी. 2004 मालसिंह बनाम राजस्थान राज्य पेज 721 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया जाकर कथन किया गया कि जिस भूमि पर प्रार्थी का कब्जा मानकर अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई, वह मंदिर की खातेदारी भूमि है। वह राजकीय सिवाय चक भूमि नहीं है। अधिनियम की धारा 91 के तहत तहसीलदर द्वारा राजकीय सिवाय चक भूमि पर हुये अतिक्रमण के संबंध में ही कार्यवाही के लिए क्षेत्राधिकार रखता है, अन्य खातेदार की भूमि में नहीं, इस मामले में मंदिर मूर्ति की भूमि पर अधि0 की धारा 91 के अधीन बेदखली व शास्ति की कार्यवाही नहीं की जा सकती.... आदि। अंत में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:14:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय तहसीलदार बुहाना के निर्णय दिनांक 13.7.2021 को निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलाट्स द्वारा मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण की भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय दिनांक 13.7.2021 पारित किया गया है। पारित निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट् का कथन है कि वह मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी का पुजारी है। यह मंदिर करीब 200 वर्ष पुराना है तथा करीब 100 वर्ष से पुजारी श्री श्यामसुंदर व उसके पूर्वज मंदिर की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं तथा मंदिर की भूमि को काश्त करते हैं तथा वर्षों से ही मंदिर की भूमि पर रहते हैं, पुराना मकान जर–जर होने एवं परिवार बढ़ने के कारण उनको नया मकान व ढारे छप्पर रहने एवं अनाज आदि के लिये बनाने पड़े। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 की धारा 5 (19) के अनुसार हर काश्तकार 500 वर्गमीटर तक सुर के रूप में निर्माण कर सकता है। अपीलांट बिना किसी मानदेय के कई वर्षो से भगवान लक्ष्मीनारायण की पूजा अर्चना करता आ रहा है। अगर मंदिर पुजारी के उक्त 126 वर्गमीटर पर किये गये निर्माण कार्य को अवैध मानकर तोड़ा जाता है तो पुजारी व उसके परिवारवाले सडक पर आ जायेगे उनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं होगी तथा मंदिर में आने वाले यात्रियों की भी कोई व्यवस्था नहीं होगी आदि। मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिंघाना के निर्णय एवं पत्रावली का अवलोकन किया गाया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेकपूर्ण तरीके से अपने निर्णय में कोई विवेचना नहीं की गई। अपीलांट मंदिर का पुजारी है या नहीं, कितने वर्षों से मंदिर भूमि को पुजारी व उसका परिवार काश्त कर रहा है, क्या नये निर्माण से पूर्व परिवार उक्म मंदिर भूमि पर नहीं था, क्या मंदिर का पुजारी ज[illegible]मि को काश्त कर रहा है, तथा काश्तकार है वह उसमें नहीं रह सकता, विधिक प्रावधानों [illegible]पूर्ण विवेचना किये बिना ही दो लाईन का आदेश अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिंघाना द्वारा पारित किया गया है, जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:14:26 IST
Reason: SelfAttested

बिना तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों की पूर्ण विवेचना किये पारित किया गया है । ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांटस स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार तहसीलदार सिंघाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2021 उनवानी सरकार बनाम श्यामसुंदर मु0नं0 24/2021 निरस्त किया जाता है। प्रकरण नायब तहसीलदार सिंघाना को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि का वे स्वयं मौका निरीक्षण करेंगे तथा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये अपीलांट्स द्वारा विवादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रस्तुत जवाब, दस्तावेज का विधिक रूप से परीक्षण कर पुनः विधि सम्मत कार्यवाही करेंगे। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 30.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:14:26 IST
Reason: SelfAttested